वकील प्रार्थी ने प्रा०पत्र 07 R11 व धारा 151 जा.सि. का जवाब पेश किया जिसे शा०प० किया जाकर जवाब की प्रति वकील विपक्षी को दिलायी गयी। उभयपक्षो ने प्रा०पत्र 07 R11 व धारा 151 जा.सि. पर बहस करनी चाही। उभयपक्षो की प्रा० पत्र 07 R11. व धारा 151 जा.दी० पर बहस सुनी गयी, वास्ते पत्रावली प्रा० पत्र 07 R11 व धारा 151 जा.दी० के आदेश हेतु, नियत दिनांक 23.7.24 को पेश हो।

23/7/24 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता उप० मूल वाद पत्र सं. 83/23 अन्तर्गत धारा 188 R-T-A. को खारीज किया जा चुका है। यह प्रा० पत्र वाद का अभिन्न अंग होने से वाद के अभाव में चलने योग्य नहीं है। अतः प्रा०पत्र अस्वाई निषेधाज्ञा खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम दी

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा